संख्या - 46/भा0स0 41/84-2-2013-सीपी 41/90 टीसी

प्रेषक,

हरिश्चन्द्र,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

निदेशक,
भारत सरकार,
उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय,
उपभोक्ता संरक्षण विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली।

उपभोक्ता संरक्षण एवं बांट माप अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक : 09 अक्टूबर,2013

विषय राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद् के गठन एवं इसके पदाधिकारियों के सम्बन्ध में वांछित सूचना उपलब्ध कराना ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-2(4)/2013 सीपीयू, दिनांक 19.09.2013 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस सम्बन्ध में निम्नानुसार वांछित सूचना संलग्न कर प्रेषित करने का मुझे निदेश हुआ है :-

(1) अधिसूचना संख्या-सीपी 594/29-8-97 सीपी 41/90, दिनांक 14.03.1997
(2) अधिसूचना संख्या-सीपी 1005/29-8-98 सीपी 41/90, दिनांक 02.11.1998
(3) अधिसूचना संख्या-मु0स0 11/29-8-2006 सीपी 41/90, दिनांक 23.02.2006
(4) अधिसूचना संख्या-सीपी 490/84-2-2009 सीपी 41/90 टीसी, दिनांक 27.08.2009
(5) कार्यालय ज्ञाप संख्या-387/84-2-2012 सीपी 41/90 टीसी, दिनांक 24.01.2013
(6) कार्यालय ज्ञाप संख्या-68/84-2-2013-सीपी 41/90 टीसी, दिनांक 31.07.2013

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

(हरिश्चन्द्र)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in